

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगोन प.नि.म.प्र.

आम - सूचना

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र कं. सी/1625, जबलपुर, दिनांक 04.07.2020 द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों के प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस न्यायालय में दिनांक 06.7.2020 से 11.07.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अंतिम तर्क हेतु नियत अपील मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती हैं:-

कं.	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	06.07.2020	21.07.2020	
2	07.07.2020	22.07.2020	
3	08.07.2020	23.07.2020	
4	09.07.2020	24.07.2020	
5	10.07.2020	25.07.2020	
6	11.07.2020	27.07.2020	

श्रीमती गीता सोलंकी
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
खरगोन प.नि.म.प्र.

न्यायालय:- अभिषेक कुमार त्रिपाठी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2.

आम सूचना

देश में कोरोना वायरस (Noble Covid 19) की तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय न.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी सर्कुलर क्रमांक-बी/1880 जबलपुर दिनांक-30/05/2020 व माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डलेश्वर के पत्र क्रमांक-क्यू/लेखा/2020 दि.30/05/2020 व पश्चात् जारी सर्कुलर क्रमांक-सी/1625 जबलपुर दिनांक-04/07/2020 आदेशों के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों अधिवक्ताओं साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

न्यायालय में दिनांक-06/07/20 से 11/07/2020 तक नियत मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष दिवानी व आपराधिक सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक-06/07/20 से 11/07/2020 तक पूर्व से नियत न्यायालय के समस्त मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

अनु.क्रं.	नियत दिनांक	आगामी नियत दि.	रिमार्क
1	06/07/2020	20/07/2020	
2	07/07/2020	21/07/2020	
3	08/07/2020	22/07/2020	
4	09/07/2020	23/07/2020	
5	10/07/2020	24/07/2020	
6	11/07/2020	25/07/2020	

(अभिषेक कुमार त्रिपाठी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
खरगोन जिला मण्डल

न्यायालय- डी एस. मण्डलोई, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
खरगोन प0नि0(म0प्र0)



// आम सूचना //

समस्त पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को इस आम सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए न्यायिक ग.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क सी./1625, जबलपुर, दिनांक 04.07.2020 द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 से 10.07.2020 तक नियत प्रकरणों में जमानत एवं अत्यंत जरूरी मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती है:-

क्र.	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमार्क
1	06.07.2020	13.08.2020	
2	07.07.2020	14.08.2020	
3	08.07.2020	17.08.2020	
4	09.07.2020	18.08.2020	
5	10.07.2020	19.08.2020	
6	11.07.2020	20.08.2020	

आज्ञा से

(**डी एस. मण्डलोई**)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प.नि. खरगोन (म.प्र.)
खरगोन प0नि0

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालयों में दिनांक 06/7/20 से 11/7/2020 तक नियत **आपराधिक** मामलों में अर्जेंट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गई :-

क्र.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	रिमार्क
1	06/7/20	19/8/20	
2	08/7/20	20/8/20	
2	09/7/20	24/8/20	
3	11/7/20	RCT प्रकरण --26/8/20	
		MJC+ 138 NIA प्रकरण 19/8/20	

नोट:- अंतिम तर्क वाले प्रकरण नियत दिनांक में कार्यवाही उपरांत ही आगामी दिनांक हेतु नियत किये जावेंगे।

06/07/2020
श्रीमती आरती
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरगोन (म.प्र.)

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालयों में दिनांक 06/7/20 से 11/7/2020 तक नियत सिविल मामलों में अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गई :-

क्रं.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	रिमार्क
1	06/7/20	23/7/20	
2	08/7/20	25/7/20	
3	09/7/20	27/7/20	
4	11/7/20	29/7/20	

[Signature]
06/07/2020
(श्रीमती अरुणा दीगरा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
खरगोन, पश्चिम निमाड (म.प्र.)

न्यायालय:-राजू सिंह डावर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

खरगोन प.नि.

जा.क. 30/07/20

खरगोन, दिनांक 06.07.2020

-:: आवश्यक सूचना ::-

कोरोना वायरस(कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C/1625 जबलपुर, दिनांक 04.07.2020 में प्रसारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में दिनांक 11.07.2020 तक विस्तारित एडवायजरी को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय में लंबित समस्त दिवानी एवं आपराधिक प्रकरण निम्न सारणी अनुसार नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को यथास्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल अंतिम तर्क से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी तथा रिमाण्ड व जमानत संबंधी प्रकरणों की एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किया जायेगा। शेष कार्यवाहियों, दिनांक 11.07.2020 तक स्थगित रहेंगी।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने-अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों हेतु आगामी नवीन पेशी दिनांक
अतिआवश्यक/अंतिम तर्क के स्तर के प्रकरणों की पेशी तारीख पृथक-पृथक नियत की गयी है।

	वर्तमान पेशी तारीख	आगामी पेशी तारीख सिविल	आगामी पेशी तारीख आपराधिक
स.क्र.	06.07.2020	27.07.2020	20.07.2020
1	07.07.2020	04.08.2020	21.07.2020
2	08.07.2020	05.08.2020	27.07.2020
3	09.07.2020	06.08.2020	28.07.2020
4	10.07.2020	07.08.2020	29.07.2020
5	11.07.2020	08.08.2020	30.07.2020

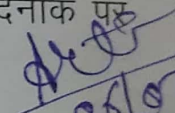
(राजू सिंह डावर)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
खरगोन प.नि.

सूचना पत्र

देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किशोर न्यायालय में दिनांक 06/7/20 से 11/7/2020 तक नियत **आपराधिक मामलों** में अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उक्त अवधि में लंबित मामलों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की गई :-

क्र.	नियत पेशी दिनांक	आगामी नियत दिनांक	रिमार्क
1	07/7/20	28/7/20	
2	10/7/20	31/7/20	

नोट:- अंतिम तर्क व न्यायिक निरोध वाले प्रकरण नियत दिनांक पर ही कार्यवाही उपरांत नियत किये जावेंगे


(श्रीमती आरती दर्गल)
प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड
खरगोन, पश्चिम निमाड (म.प्र.)

आम सूचना

देश में कोरोना वायरस (Noble Covid-19) के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पत्र क्र.-सी/1455, दिनांक 19.06.2020 द्वारा जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में प्रकरण के पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 से 11.07.2020 तक मामलों में जमानत एवं अर्जेंट मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक 29.06.2020 से 04.07.2020 तक पूर्व से नियत इस न्यायालय के मामलों में निम्नानुसार जनरल तिथियाँ नियत की गई हैं :-

स. क्र.	नियत तिथि	आगामी तिथि	अण्डर ट्रायल प्रकरण की नियत तिथि
1	06.07.2020	21.08.2020	18.07.2020
2	07.07.2020	22.08.2020	20.07.2020
3	08.07.2020	24.08.2020	21.07.2020
4	09.07.2020	25.08.2020	22.07.2020
5	10.07.2020	26.08.2020	23.07.2020
6	11.07.2020	27.08.2020	24.07.2020

2- सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों और संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर एवं न्यायालयों में अत्यंत अर्जेंट स्थिति होने पर ही प्रवेश करें अन्यथा नहीं। बंदी अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सिर्फ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी।

न्यायालयीन प्रक्रिया में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिये उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।


आदेशानुसार


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमांड